न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,चौमूँ, जयपुर
(न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम गोविन्दगढ़)
पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–52/2016

उनवान

बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण, उम्र 70 साल, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण, उम्र करीब 66 साल, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 रा0 का0 अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक:–08.05.2018

निर्णय

वादी ने वाद इस आशय का पेश किया है कि वादी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का निवासी है जिसकी तन्हा खातेदारी काश्त की भूमियां नया खाता सं0 196 के खसरा नं0 1546/2 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 1547 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 1548/1816 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 1549/1817 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 1551/1818 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.14 है0 स्थित है, जोकि इस वाद में विवादित भूमियां हैं। इन विवादित कृषि भूमियों का एकमात्र वादी ही अभिलिखित, काबिज काश्तकार है तथा अन्य किसी का भी इनमें किसी प्रकार का सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं है। वादी की वादग्रस्त भूमियों के पश्चिम में स्थित भूमियों का पड़ौसी खातेदार काश्तकार है तथा वादी का सगा भाई है, जो हमेशा वादी के हिस्से की भूमियों की पश्चिमी सीमा दबाने के लिये प्रयासरत रहता है जिस सम्बन्ध में वादी ने अनेक बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह व उसके पुत्र अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रोजाना अनाधिकार दखलन्दाजी का प्रयास

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

करते रहते हैं जबकि सभी की अलग–अलग खातेदारी है और काफी समय से अपने–अपने हक की भूमियों पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादी सं0 1 व उसके परिवार को कोई हक व अधिकार नहीं है कि वे वादी की पृथक खातेदारी कब्जे काश्त की भूमियों में दखाम करें अथवा वादी को इस उद्देश्य हेतु उत्पीड़ित या परेशान करें। प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 18.07.2016 को वादी को एलानियां धमकी दी कि वह वादी की भूमियों पर अतिक्रमण कर वादी को कब्जे काश्त से बेदखल कर देगा। वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादीगण को जरिये सथायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमियां कुल रकबा 1.14 है0 में प्रतिवादी सं0 1 अथवा उसके परिजन, एजेन्ट्स, सर्वेन्ट्स एवं वर्कमैन ना तो अतिक्रमण करें और ना ही दखलन्दाजी करें, ना ही उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें।

प्रतिवादी सं0 1 द्वारा जवाब वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित सभी मद गलत व अस्वीकार हैं। वास्तविकता यह है कि वादी व प्रतिवादी की भूमियां पहले संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमियां थीं जिनका न्यायालय में जरिये राजीनामा विभाजन करवाया गया था तथा खातेदारी अलग–अलग की जाकर भूमियां प्रत्येक पक्ष के खाते में पृथक से अंकित कर दी गई लेकिन सही सीमा पर पत्थरगढ़ी नहीं हो सकी, जिस कारण स्वयं वादी मन प्रतिवादी की भूमियों की ओर सीमा में आ जाता है। वादी व प्रतिवादी की भूमियां नाप की बराबर हैं इसलिये इस विवाद का हल केवल भूमियों का प्रत्येक पक्ष का बराबर क्षेत्रफल मापकर मध्य में पत्थरगढ़ी कर दी जावे। पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रतिवादी पूर्णरुपेण सहमत है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अतिरिक्त कथन किया गया है कि वादी, प्रतिवादी व बड़े भाई मूलचन्द जी की शामलाती भूमियां थी जिनका माननीय न्यायालय द्वारा बराबर हक के अनुसार विभाजन का वाद लिखित व सत्यापित राजीनामे के आधार पर डिक्री किया गया। तीनों भाईयों के हक में बराबर भूमियां अर्थात् 1.14 है0 प्रत्येक पक्ष की खातेदारी में आई और प्रत्येक के हक हिस्से को नजरी नक्शे के अनुसार राजीनामे में दर्शित किया जाकर इन्द्राज दुरुस्ती भू–अभिलेख में तो कर दी गई लेकिन मौके पर पुख्ता सीमा निर्धारित नहीं की गई जिस कारण यह मात्र सीमा का विवाद है जिसका न्यायोचित हल मध्य सीमा पर पत्थरगढ़ी है जिस हेतु माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मध्य सीमा पर पत्थरगढ़ी करवा दी जावे ताकि सदैव के लिये विवाद समाप्त हो जावे। दोनों पक्षों को विभाजन

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

में बराबर रकबे की भूमियां दी गई हैं इसलिये मौके की पूरी माप चौक की जाकर दोनों पक्षों को बराबर रकबा कर दिया जावे।

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ में पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी उपस्थित। वकील वादी व प्रतिवादी को सुना गया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। वादी द्वारा अपने पड़ौसी खातेदार के विरुद्ध वाद पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा गया है। वादी व प्रतिवादी आपस में सहखातेदार नहीं हैं। न्यायालय अभिमत में उभयपक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्षकारान अपनी–अपनी खातेदारी भूमि में रहते हुए काश्त करते हुए उपयोग उपभोग करते रहेंगे तथा एक–दूसरे की भूमि में दखलंदाजी नहीं करेंगे। वादी का वाद आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम गोविन्दगढ़ में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Scanned by CamScanner

मु0सं0–52/2016
उनवान–बाबूलाल बनाम सीताराम वगै0
निर्णय दिनांक–08.05.2018

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,चौमूँ, जयपुर

(न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम गोविन्दगढ़)

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–52/2016

उनवान

बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण, उम्र 70 साल, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण, उम्र करीब 66 साल, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 रा0 का0 अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः–08.05.2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी ..... मिनजामिन व ..... मुददई रूबरू सुश्री सीमा शर्मा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि–

वादी द्वारा अपने पड़ौसी खातेदार के विरुद्ध वाद पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा गया है। वादी व प्रतिवादी आपस में सहखातेदार नहीं हैं। न्यायालय अभिमत में उभयपक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्षकारान अपनी–अपनी खातेदारी भूमि में रहते हुए काश्त करते हुए उपयोग उपभोग करते रहेंगे तथा एक–दूसरे की भूमि में दखलंदाजी नहीं करेंगे। वादी का वाद आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मु0सं0–52/2016
उनवान–बाबूलाल बनाम सीताराम वगै0
निर्णय दिनांक–08.05.2018

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 08.05.2018 को जारी किया गया

मोहर

दस्तखत .....
सहायक कलेक्टर
ओहदा.....चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	1 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	2	जोड़	1

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner